measures to keep the communal situation under control. Some of these measures are mentioned below:--

(i) Sharing of intelligence with the State Governments.

(ii) Assisting the State Governments by providing the Central Para-Military Forces etc. The Central Government has also constituted a Special Force, viz. Rapid Action Force, for controlling communal riots and tensions.

(iii) Assisting the State Governments in upgradation of their policing infrastructure.

(iv) Sending advisories to the State Governments from time to time.

The Government is firmly of the view that acts of violence against any community, wherever and in whatever form they occur, must be dealt with sternly and exemplary punishment awarded to the perpetrators.

Statement

No. of communal incidents and no. of persons killed/injured therein during 1998

Month	No. of Incidents	No. of persons killed	No. of persons injured
January	47	10	108
February	52	13	307
March	83	22	309
April	60	33	145
May	65	24	191
June	59	30	210
July	42	14	123
August	42	6	146
September	55	11	145
October	53	13	177
November	36	12	70
December	32	19	134
TOTAL	626	207	2065

दाऊद गिरोह के लिए सरकारी हथियार

1614. **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दाऊद गिरोह के सदस्यों को सरकारी हथियारों की आपूर्ति की जाती रही है और अभी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच न करने के पीछे क्या दिक्कतें थीं/या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) (घ) दाऊद गिरोह के सदस्यों को सरकारी शस्त्रों की आपूर्ति के संबंध में इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, इस मामले में संबंधित एजेंसियों की टिप्पणियां मांगी जा रही हैं।

ईसाई संगठनों को अनुदान

1615. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ईसाई संगठनों को अनुदान प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का अनुदान किन नियमों के अंतर्गत किया जाता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Committee to Study Invoking article 355 and 356

1616. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee has been set up from the last meeting of the Inter-State Council to study the basis on which Article 355 and Article 356 can be invoked by Government;